DOIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : एफ2(9389)/डीओआईटी/संस्था/2021/ML-4520/2024 जयपुर, दिनांकः 21/02/2024

आदेश

विभागीय आदेश कमांक प.2(9357)सू.प्रौ./संस्था/2021/0015/2022 दिनांक 03.01.2022 के द्वारा सुश्री ज्योति चौधरी पुत्री स्व. श्री सुल्तान सिंह, सूचना सहायक को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में सूचना सहायक के पद पर वेतन श्रृंखला 5200–20200 (10) में दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये राशि रूपये 18,500/– पर नियत पारिश्रमिक के अन्तर्गत प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेशों की अनुपालना में सुश्री ज्योति चौधरी ने दिनांक 24.01.2022 (मध्याह पूर्व) सूचना सहायक के पद पर कार्यग्रहण कर लिया था।

इस विभाग के आदेश कमांक एफ.2(1587) डी.ओ.आई.टी./संस्था/13/02614/2023 दिनांक 25.05.2023 के द्वारा सुश्री ज्योति चौधरी, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन) ने नियुक्ति आदेश की शर्तानुसार कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा (द्वितीय अवसर दिनांक 27.03.2023 को) उत्तीर्ण कर ली गई है।

वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में सुश्री ज्योति चौधरी पुत्री स्व. श्री सुल्तान सिंह, सूचना सहायक का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की नियमित वेतन श्रेखला पी.बी–1 (5200–20200) की ग्रेड पे–2800 (ग्रेड पे सं.–10) का शिड्यूल–I (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेविल का न्यूनतम (First cell) की राशि रूपये 26,300/– एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जारी हैः–

क्र. सं.	मेरिट नं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधी (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	डीडीपी	सुश्री ज्योति चौधरी पुत्री स्व. श्री सुल्तान सिंह	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	24.01.2022	23.01.2024	24.01.2024

उक्त कार्मिका का वेतन आहरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टी का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार **उक्त कार्मिका की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2024 होगी।**

(संजय जगदीश कार्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव/सहायक शासन सचिव, कार्मिक (क–2), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सुश्री ज्योति चौधरी पुत्री स्व. श्री सुल्तान सिंह, सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

विजय
21/02/2024
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)